

# कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-प.3(3)प्रशि/फोर्स/2021/15917


दिनांक:- 08/12/2021

स्थाई आदेश संख्या- 31 /2021

राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ.2/डी.ओ.पी./ए-2/84 दिनांक 14.08.1989 के द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के प्रख्यापन होने के फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 29 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित स्थाई आदेश संख्या-06/92 के अतिक्रमण में उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर (एमटी) से निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर (एमटी) के पद पर पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा के लिए संलग्न पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संलग्न:- पाठ्यक्रम

  
(एम.एल. लाठर),  
महानिदेशक पुलिस,  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, आसूचना, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस, आर.पी.टी.सी., जोधपुर।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय जीआरपी, अजमेर/जोधपुर।
9. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी., किशनगढ़।
10. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स।
11. समस्त कमाण्डेंट, पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान।

  
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,  
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।



# योग्यात्मक पदोन्नति परीक्षा पाठ्यक्रम

एम.टी. संवर्ग  
उप निरीक्षक / प्लाटून कमाण्डर से निरीक्षक / कम्पनी कमाण्डर

## मूल्यांकन पद्धति

भाग	विवरण	अंक
A	लिखित परीक्षा : 1. गैर तकनीकी 50 अंक 2. तकनीकी 50 अंक	100
B	आऊटडोर : 1. प्रायोगिक परीक्षा 100 अंक 2. परेड एवं आऊटडोर परीक्षा 25 अंक	125
C	रिकार्ड एवं साक्षात्कार	75
	पूर्णांक	300

A. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम :

अंक-100

1. गैर तकनीकी :

अंक-50(समय-03 घण्टे)

क्र.सं.	विवरण
1	राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 29,30,33,34,35,36
2	राजस्थान पुलिस नियम 2008 के नियम 12 13 14
3	राजस्थान पुलिस अधिनियम 1948 की वाहनों से संबंधित धाराएँ।
4	राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 3.38 3.39 3.40 3.41 7.16 7.30
5	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 4, 6, 6क, 17, 21, 26 एवं 36
6	मोटर वाहन अधिनियम 1988 नवीन संशोधनों सहित : 1. अनुज्ञा (लाईसेन्स) मो.वा.अ. धाराएँ-3,4,5,15,21,23, 2. पंजीयन धारा- 39,52,60,66 3. वाहनों का संधारण-109. 4. यातायात नियंत्रण-112,117 से 122,125, 127 से 134, 136, 140 से 145 तक. 5. बीमा और सुरक्षा धारा-146,149,156,157 6. अपराध एवं दण्ड धारा-180 से 182,184.185से 190, 196,201,206,207
7	राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 4, 4ए, 7, 9, 18, 21 एवं 26
8	राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 6 तथा 12 से 19 तक
9	यातायात चिह्न एवं यातायात संकेत की जानकारी
10	राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण संबंधी परिपत्रों की जानकारी
11	परिवहन शाखा में संघारित किए जाने वाले रिकार्ड की जानकारी
12	परिवहन शाखा में टायर, ट्यूब, बैटरी एवं पार्ट्स क्रय करने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी
13	राज्य पुलिस का संगठन : <ul style="list-style-type: none"><li>• पुलिस मुख्यालय</li><li>• रेंज कार्यालय</li><li>• पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्त कार्यालय, पुलिस थाना (परिचयात्मक)</li><li>• सी.आई.डी. (सी.बी.)</li><li>• सी.आई.डी. (एस.एस.बी.)</li><li>• राजस्थान सशस्त्र दल (आर0ए0सी0 / एम0बी0सी0)</li><li>• राजकीय रेल्वे पुलिस (जी0आर0पी0)</li><li>• एन्टी टैररिस्ट स्क्वाड (ए0टी0एस0)</li><li>• स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस0ओ0जी0)</li><li>• राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एस0सी0आर0बी0)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पुलिस दूरसंचार</li> <li>• एसडीआरएफ</li> </ul>
14.	समसामयिक घटनाओं की जानकारी

2. तकनीकी :

अंक-50(समय-03 घण्टे)

क्र.सं.	विवरण
1	वाहन में लगने वाले पार्ट्स की पहचान तथा उसकी कार्यप्रणाली की जानकारी
2	विभाग में संचालित सभी वाहनों के सर्विस शेड्यूल की जानकारी
3	भारत स्टेज 1 से 4 तक तथा 6 की जानकारी
4	तकनीकी परिभाषाएं : ईन्जन, बोर, स्ट्रोक, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, C.C., T.D.C., B.D.C., I.H.P., F.H.P., B.H.P., S.A.E., फ्रंट ओवर हैंग, रियर ओवर हैंग एवं व्हील ट्रेक
5	S.C.R., सिस्टम के बारे में जानकारी
6	भारत के ऑटोमोटिव रिसर्च एसोशिएशन के बारे में जानकारी
7	भारत में ऑटोमोबाईल उद्योग का इतिहास, प्रगति एवं भारत वर्ष में बनने वाली गाड़ियों की जानकारी
8	लंबे समय तक वाहन को खड़ा रखने पर रखरखाव की जानकारी
9	वाहन के फ्यूल सप्लाई सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, ल्यूब्रीकेशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम एवं संसपेंशन सिस्टम में बारे में जानकारी
10	इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में जानकारी

B. आऊटडोर :

अंक-125

1. प्रायोगिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :

अंक-100

क्र.सं.	विवरण
1	वाहन में लगने वाले सभी पार्ट्स की पहचान करना तथा उनकी कार्यप्रणाली
2	ब्रेक सेटिंग एवं ब्लिडिंग करना
3	क्लच की फ्री प्ले सेट करना
4	सस्पेंशन प्रणाली के दोष व निवारण
5	फ्यूल सप्लाई सिस्टम में आए दोषों का निवारण करना
6	विद्युत सप्लाई सिस्टम में आए दोषों का निवारण करना
7	कूलिंग सिस्टम के दोष व निवारण
8	हैड लाईट बल्ब एवं फैन बैल्ट बदलने की जानकारी
9	फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर एवं ऑयल बदली करना

2. परेड एवं आऊटडोर परीक्षा का पाठ्यक्रम :

अंक-25

क्र.सं.	विवरण	
1	<u>स्कावड ड्रिल :</u>	
	अंक	
	1. व्यक्तिगत प्रदर्शन 2. प्रशिक्षक क्षमता	05 05
2	अंक हथियारों की जानकारी	05
3	<u>पी.टी. :</u>	
	अंक	
	1. व्यक्तिगत प्रदर्शन 2. प्रशिक्षक क्षमता	05 05

C. रिकार्ड एवं साक्षात्कार :

क्र.सं.	विवरण	अंक
1	पी.ए.आर/कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट (पिछले 5 वर्षों की गणना से गुणन) :	
	(क) उत्कृष्ट	04 अंक
	(ख) बहुत अच्छा	03 अंक
	(ग) अच्छा	02 अंक
	(घ) संतोषजनक	01 अंक
	(ङ) असंतोषजनक	शून्य
	नोट :- यदि पिछले पांच वर्ष में किसी वर्ष की पी.ए.आर. उपलब्ध नहीं है तो उपरोक्त पांच वर्ष के ठीक पूर्व वर्ष की पी.ए.आर. को शामिल किया जाए।	20
2	पुरस्कार एवं सजाएं :	
	(क) पुरस्कार :- अधिकतम 20 अंक	

- |  |                     |    |
|--|---------------------|----|
| (I) राष्ट्रपति पुलिस पदक (पी.पी.एम.) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए- | 10 अंक              |    |
| (II) पी.पी.एम.(बार) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए-                  | 10 अंक              |    |
| (III) पुलिस पदक (पी.एम) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए-              | 09 अंक              |    |
| (IV) पी.एम. (बार) शौर्य (गैलेंट्री) के लिए-                    | 09 अंक              |    |
| (V) राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा के लिए-                  | 08 अंक              |    |
| (VI) पुलिस पदक सराहनीय सेवा के लिए-                            | 07 अंक              |    |
| (VII) असाधारण कार्य पुरस्कार-                                  | 06 अंक              |    |
| (VIII) महानिदेशक पुलिस डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र-                | 04 अंक              |    |
| (IX) सर्वोत्तम सेवा चिन्ह-                                     | 05 अंक              |    |
| (X) अति उत्तम सेवा चिन्ह-                                      | 04 अंक              |    |
| (XI) उत्तम सेवा चिन्ह  | 03 अंक              | 35 |
| (XII) नकद पुरस्कार के साथ प्रशस्ति प्रमाण पत्र/प्रशंसा पत्र :  |                     |    |
| (A) सरकार/महानिदेशक पुलिस                                      | 04 अंक              |    |
| (B) अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस                 | 03 अंक              |    |
| (C) उप महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट              | 02 अंक              |    |
| (XIII) नकद पुरस्कार के बिना प्रशस्ति प्रमाण पत्र/ प्रशंसा पत्र |                     |    |
| (A) सरकार/महानिदेशक पुलिस                                      | 02 अंक              |    |
| (B) अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस                 | 1 $\frac{1}{2}$ अंक |    |
| (C) उप महानिरीक्षक पुलिस/ पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट             | 01 अंक              |    |
| (ख) सजाएं :- अधिकतम 15 अंक                                     |                     |    |

विभागीय कार्यवाही में विभिन्न प्रकार के दण्ड के लिए अंको की कटौती निम्न लिखित प्रकार से होगी (प्रत्येक दण्डादेश हेतु) :-

(I) परिनिंदा 01 अंक

(II) ग्रेड वेतन वृद्धि रोक (भविष्य प्रभाव के बिना) 03 अंक

(III) वृहद सजाएं 07 अंक

नोट:- पुरस्कार और दंड के लिए आवंटित 35 अंको में से 20 पुरस्कार के लिए और 15 अंक सजाओं के लिए निर्धारित किये गये हैं। पुरस्कार की अच्छी प्रविष्टियों के लिए 20 अंक अधिकतम दिये जाएंगे। पुरस्कार के अंकों की गणना 0 से 20 अंको के आधार पर होगी। सजाओं के अंको की गणना 15 से 0 अंको के आधार पर होगी। यदि किसी उम्मीदवार के रिकॉर्ड पर कोई सजा नहीं है तो वह 15 अंक प्राप्त करेगा। प्रत्येक सजा की प्रविष्टि पर उसके कुल 15 अंको में से कटौती होगी। रिवाइड के कुल 20 अंको में से प्राप्त किये गये अंक तथा सजाओं के कुल 15 अंको में से शेष रहे अंको का जोड़

	उस उम्मीदवार के इस मद में कुल प्राप्तांक होंगे। सजाओं के अन्तर्गत अधिकतम 15 अंक तथा न्यूनतम 0 अंक मिलेंगे।	
3	शिक्षा : अधिकतम 04 अंक  (क) डिप्लोमा (अवधि कम से कम एक वर्ष) 02 अंक (ख) स्नातक 03 अंक (ग) स्नातकोत्तर 04 अंक	04
4	प्रशिक्षण : अधिकतम 06 अंक  (क) विशेष प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक सप्ताह हो (प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए कम से कम पाँच दिवस) 01 अंक (ख) विशेष प्रशिक्षण जिसकी अवधि कम से कम दो सप्ताह या उससे अधिक हो (प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए) 02 अंक (ग) पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया हो। 03 अंक  (स्थानान्तरण नीति के अनुसार एक कार्यकाल लगातार 3 वर्ष के पदस्थापन का होगा। प्रत्येक कार्यकाल के लिए अंक दिये जायेंगे। दो कार्यकाल के मध्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार 3 वर्ष का अन्तराल (Cooling off) आवश्यक होगा)	06
5	साक्षात्कार :  (क) व्यक्तित्व (ख) एप्टीट्यूड मोटर व्हीकल जॉब और प्रेक्टिकल जानकारी । (ग) नेतृत्व के गुण (घ) व्यवस्था एवं चलाने की योग्यता  1. सर्विस स्टेशन 2. माईनयर रिपेयर शॉप 3. ईन्जन मेजर ओवर हालिंग	10